

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट

जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती रक्षा पारीक आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 47/2021

किस्म :- प्रार्थना-पत्र

दायर दिनांक : 03.12.2021

निर्णय दिनांक : 14.05.2024

अनवान

1-भरत कुमार पुत्र डालचन्द जाति कोठारी महाजन निवासी आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमंद।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब आमेट जिला राजसमंद
2. अर्जुन सिंह पिता भगवत सिंह जाति चुण्डावत
3. घनश्यामसिंह पिता महावीर सिंह जाति पंवार
4. श्रीमती दुर्गा कंवर पुत्री महावीर सिंह जाति पंवार
5. दौलतसिंह पिता नारायणसिंह जाति पंवार
6. निरंजन सिंह पिता प्रताप सिंह जाति सौलंकी
7. पुष्पेन्द्र सिंह पिता महावीर सिंह जाति पंवार
8. बंशीलाल पिता भंवरलाल जाति सेन
9. भगवतसिंह पिता महावीर सिंह जाति पंवार
10. मोहनसिंह पिता महावीर सिंह जाति पंवार
11. शैतानसिंह पिता महावीर सिंह जाति पंवार
12. मनोहरसिंह पिता रोशनसिंह जाति राजपूत
निवासीयान आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमंद

.....विपक्षीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1-2 सपठित
धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

प्रार्थी की ओर से

विपक्षी सं. 2 की ओर से

विपक्षी सं. 3 की ओर से

विपक्षी सं. 8 व 9 की ओर से

विपक्षी सं. 12 की ओर से

- :- अधिवक्ता मुकेश देवपुरा
:- अधिवक्ता डालचंद जाट
:- अधिवक्ता गिरिश चन्द्र पुरोहित
:- अधिवक्ता प्रमोद लक्षकार
:- अधिवक्ता किशनलाल शर्मा



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1-2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमंद में संवत् 2055 से 2058 की जमाबंदी में आराजी नं. 3363 रकबा 0.3400 हैक्टेयर एवं आराजी नं. 3365 मीन रकबा 0.0120 हैक्टेयर भूमि श्री नारायण सिंह, महावीर सिंह, जेठुसिंह पिता हीरालाल जी पंवार साकिन देह खातेदार के नाम से जमाबंदी में दर्ज थी। ग्राम आमेट के आराजी नं. 3364 क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर किस्म आराजी चाह में जेठु सिंह पुत्र हीरालाल पंवार का 1/6 हिस्सा व नारायण सिंह पुत्र हीरालाल पंवार का 1/6 हिस्सा व महावीर सिंह पुत्र हीरालाल पंवार का 1/6 हिस्सा दर्ज था। नारायण सिंह, महावीर सिंह, जेठुसिंह पिता हीरालाल जी पंवार निवासी आमेट ने आराजी नं. 3363 में से रकबा 0.0050 एयर व आराजी नं. 3364 में से रकबा 0.0080 एकयर कुल 130 एयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की एवं दिनांक 12.02.1996 को प्रार्थी को विक्रय की एवं भूमि का कब्जा प्रार्थी को सिपुर्द किया। इसी प्रकार नारायण सिंह, महावीर सिंह, जेठुसिंह पिता हीरालाल जी पंवार ने दिनांक 02.12.1998 को आराजी नं. 3363 में से रकबा 0.0247 एयर व आराजी नं. 3365 मीन क्षेत्रफल 0.0120 एयर कुल क्षेत्रफल 0.0367 वर्गमीटर प्रार्थी को और विक्रय की व उक्त दोनों विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण संख्या 1293 व नामान्तरकरण सं. 1301 प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भरा जाकर प्रार्थी के नाम खोला गया तथा प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि के आराजी नं. 5591/3365 रकबा 0.0120 हैक्टेयर, आराजी नं. 5675/3363 रकबा 0.0247 हैक्टेयर, आराजी नं. 5676/3363 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.0417 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज की। प्रार्थी खरीद की दिनांक से ही अपने भूमि पर काबिज होकर चारो ओर बाउण्ड्री बना उपयोग-उपभोग कर रहा है व प्रार्थी की फाटक भी मौके पर लगी हुई है। तत्पश्चात् महावीर सिंह पिता हीरालाल पंवार ने अर्जुन सिंह पिता भगवत सिंह चुण्डावत विपक्षी सं. 2 को आराजी नं. 3363 मीन रकबा 0.3103 हैक्टर में से 0.0186 हैक्टर का भूखण्ड विक्रय किया। विपक्षी सं. 1 ने जो प्रार्थी के नाम से दोनो विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण सं. 1293 व 1301 विपक्षी सं. 1 द्वारा भरा जाकर प्रार्थी के नाम खोला गया। प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि को प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज की। इसका बट्टा नम्बर तो अंकित कर दिया, लेकिन नक्शा ट्रेस में वक्त नामान्तरकरण बट्टा नम्बर फीड नहीं किए व तत्पश्चात् राजस्व रिकार्ड में मनमकसुद तरीके से प्रार्थी के कब्जे के विपरीत बिना कब्जे की जांच किए विपक्षी सं. 1 ने बिना प्रार्थी की जानकारी एवं सहमति के अंकित कर दिए, जबकि मौके पर प्रार्थी को विक्रेता ने जिस भूमि का कब्जा सिपुर्द किया, उस अनुरूप नक्शा ट्रेस में अंकन ही नहीं किया। जबकि यदि प्रार्थी के खरीदशुदा भूखण्ड को विपक्षी सं. 1 को नक्शा ट्रेस में अंकन करना था तो तरमीम का आदेश जारी कर प्रार्थी के कब्जे अनुसार ही अंकित करना था। प्रार्थी के भूखण्ड को जो एकचक था, उसके दो टुकडे नक्शा ट्रेस में कर दिए, जो नक्शा ट्रेस में मौके की स्थिति से भिन्न कर दिए। इस बात का नाजायज फायदा उठाते हुए विपक्षी सं. 3 घनश्याम सिंह पिता महावीर सिंह पंवार ने एक गिरोह बनाते हुए अन्य व्यक्तियों को अपने साथ मिलाते हुए माह जून 2021 में प्रार्थी के प्लॉट पर बनी बाउण्ड्री वॉल को जेसीवी मशीन से तोड़ दी। पटवारी हल्का आमेट ने प्रार्थी का प्लॉट जो एक चक था, को बिना किसी आदेश के मनमकसुद तरीके नक्शा ट्रेस में बिना कब्जे की जांच किए अंकित कर दिया जो सर्वथा गलत है। इस प्रकार वर्तमान नक्शा ट्रेस में प्रार्थी के भूखण्ड का अंकन ही गलत कर रखा है। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम आमेट के 5591/3365 रकबा 0.0120 हैक्टेयर, आराजी नं. 5675/3363 रकबा 0.0247 हैक्टेयर, आराजी नं. 5676/3363 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.



18
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

0417 हैक्टेयर जिसका की प्रार्थी खातेदार है, का नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम है, कि तरमीम प्रार्थी के कब्जेनुसार प्रार्थी द्वारा खरीदी गई भूमि का नक्शा ट्रेस में वांछित दुरुस्त किया जावे एवं विक्रेतागण ने जो भूमि प्रार्थी को उपर वर्णित विक्रय पत्रों के अनुसार विक्रय की है, उस अनुरूप ही नक्शा ट्रेस में अंकित कराया जाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकीयां दे रहे है एवं झूठे मुकदमे में फंसा रहे है। प्रार्थी की वाउण्डी बनी हुई है, को तोड फोड कर नाजायज कब्जा करने को आमादा है। विपक्षीगण ने ऐसा किया तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी, असुविधा एवं कष्ट का सामना करना पड़ेगा।

अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरुद्ध इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वादग्रस्त भूमि ग्राम आमेट के आराजी नं. 5591/3365 रकबा 0.0120 हैक्टेयर, आराजी नं. 5675/3363 रकबा 0.0247 हैक्टेयर, आराजी नं. 5676/3363 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.0417 हैक्टेयर भूमि जिसका प्रार्थी खातेदार है, का नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम है, कि तरमीम प्रार्थी के कब्जेनुसार प्रार्थी द्वारा खरीदी गई भूमि का नक्शा ट्रेस में वांछित दुरुस्त किया जावे एवं विक्रेतागण ने जो भूमि प्रार्थी को उपर वर्णित विक्रय पत्रों के अनुसार विक्रय की है, उस अनुरूप ही नक्शा ट्रेस में अंकित कराया जाना आवश्यक हो गया है एवं जब तक नक्शा ट्रेस में सही तरमीम नहीं हो जाती तब तक उपरोक्त वर्णित भूमि सहित ग्राम आमेट के आराजी नं. 3363 रकबा 0.3103 हैक्टेयर एवं आराजी नं. 3365 मीन रकबा 0.0080 हैक्टेयर एवं आराजी नं. 3364 रकबा 0.0200 हैक्टेयर भूमि बाबत् मौके और रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाई रखी जावे एवं सही तरमीम नहीं जो जाए तब तक उपरोक्त सभी आराजीयात भूमि को विपक्षीगण किसी अन्य को रहन बय-बक्षीस नहीं करे, न ही रूपान्तरित करे, न ही किसी प्रकार का कोई निर्माण करे, न ही प्रार्थी को बेदखल करे, न ही प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करे एवं वादग्रस्त भूमि में विपक्षीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 07.12.21 को विवादित भूमि के सम्बन्ध के सम्बन्ध मे मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये। विपक्षी सं. 2 की तरफ से अधिवक्ता डालचन्द जाट, विपक्षी सं. 12 की तरफ से अधिवक्ता किशनलाल शर्मा व विपक्षी सं. 8, 9 की तरफ से अधिवक्ता प्रमोद लक्षकार ने वकालतनामा पेश किया। विपक्षी सं. 8, 9 के अधिवक्ता ने जवाब व काउन्टर क्लेम पेश किया। विपक्षी सं. 5,6,7,10 के विरुद्ध एकपक्षीय की गई। विपक्षी सं. 11 फौत। विपक्षी सं. 8 व 9 की तरफ से जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.12.1998 को क्रय की गई भूमि पर प्रार्थी काबिज है, किन्तु कोई भूमि वर्तमान में आराजी नं. 3363 में नहीं है। प्रार्थी जबरन आराजी नं. 3363 की भूमि में कब्जा करना चाहता है। प्रार्थी ने जो भूमि नक्शे में दर्ज है, वह विक्रय पत्र अनुसार दर्ज है। है। प्रार्थी आराजी नं. 3363 व उसके किसी भाग पर कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि अलग से मौके पर स्थिति है और नक्शे में भी तरमीम है अब गलत तरीके से विक्रय पत्र के विपरीत जाकर कानून के विपरीत जाकर तरमीम करवाना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय अस्वीकार फरमाया जावे। विपक्षी सं. 8 व 9 की तरफ से काउन्टर क्लेम में निवेदन किया कि प्रार्थी राजनैतिक प्रभाव का धौस बताकर आराजी सं. 3363 की भूमि पर पत्थर इत्यादि डालकर कब्जा करना चाहता है। प्रार्थी शक्ति एवं धन, बल का अनुचित उपयोग कर गुण्डा तत्वों के बल पर मौके पर कब्जा करना चाहता है। विपक्षीगण की भूमि में प्रार्थी को कोई ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी प्रकार की हस्तक्षेप करे। ऐसी स्थिति में विपक्षी भरत कुमार कोठारी के विरुद्ध यह

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अभिकर्ता आमेट



प्रतीप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रतीप प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी भरत कुमार को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थी भरत कुमार दौराने वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखे। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि कलम सं. 1 अस्वीकार है। कलम सं. 2 व 3 स्वीकार है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा मनमकसुद तरीके से कोई कार्य नहीं किया गया बल्कि मौके पर वादी गलत काबिज हुआ। वादी के पक्ष में हुए विक्रय पत्र दिनांक 12.02.1996 व 02.12.1998 में विर्णित रिकॉर्ड में अंकन किया गया जो सही है। राजस्व रेकार्ड में जो इन्द्राज किया गया वह विक्रय पत्र दिनांक 12.02.1996 में वर्णित नजरी नक्शा अनुसार ही किया गया है। नामान्तरण सं. 1293 एवं 1301 को विधि अनुसार फ़ैसल किया गया। विक्रय पत्र के साथ भूमि का नक्शा ट्रेस ना होकर नजरी नक्शा में वर्णित है। विक्रय पत्र के अनुसार वादी मौके पर काबिज ना होकर गलत जगह काबिज हुआ ऐसी स्थिति में प्रार्थी तरमीम का अधिकारी नहीं है और न ही किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा ही प्राप्त कर सकता है। विपक्षी सं. 12 की ओर से जवाब में निवेदन किया कि आराजी नं. 3365 रकबा 0.0200 हैक्टेयर भूमि नारायण सिंह, महावीर सिंह, के नाम से दर्ज थी। जो विपक्षी सं. 12 द्वारा आराजी नं. 3365 रकबा 0.0200 एयर भूमि में से 0.0080 एयर भूमि महावीर सिंह, जेटुसिंह पिता हीरालाल जी पंवार निवासी आमेट से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 10.05.1994 से क्य की थी। उक्त भूमि क्य करने के पश्चात् विपक्षी सं. 12 उक्त भूमि पर काबिज होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा राजस्व रेकार्ड में भी विपक्षी सं. 12 के नाम पर खाता सं. नया 551 पुराना 493 आराजी नं. 3365 मीन रकबा 0.0080 एयर भूमि दर्ज है। कलम सं. 3 से 8 अस्वीकार है। प्रार्थी गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर विपक्षी सं. 12 खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाह रहा है जो कतई प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विपक्षी सं. 12 द्वारा किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई, न ही प्रार्थी की बाउण्ड्री में तोडफोड कर कब्जा करने पर आमादा है। विपक्षी सं. 8 व 9 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के जवाब में प्रार्थी ने निवेदन किया कि कस्बा आमेट के आराजी नं. 3365 का वादी सहखातेदार होकर मौके पर काबिज है। प्रार्थी ने गलत इन्द्राज को दुरस्त कराने का वाद/प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है। आरजी नं. 3365 प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है, जिस पर प्रार्थी की बाउण्ड्री वॉल बनी होकर प्रार्थी की फाटक लगी हुई है, राजस्व रिकार्ड में मनमकसुद तरीके से प्रार्थी के कब्जे के विपरीत बिना कब्जे की जांच किए विपक्षी ने बिना प्रार्थी की जानकारी एवं सहमति के अंकित कर दिए, जिसके संबंध में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी सिर्फ अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज है। विपक्षीगण की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 खतौनी सं. 147, जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 खतौनी सं. 149, जमाबन्दी संवत् 2059 से 2062 खाता सं. 623 की फोटोप्रति, विक्रय पत्र की फोटोप्रति, नामान्तरण सं. 1263, 1301 की फोटोप्रति, वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खाता सं. नया 800, 38, 551, 555, 669, 475 की फोटोकॉपी व आंशिक नक्शा ट्रेस फोटोप्रति, तहसीलदार भू.अ. आमेट के पत्रांक 271 दिनांक 23.07.21 के प्रार्थना पत्र की प्रति, पुलिस थाना आमेट के इसतागासा सं. 121 सन् 2021 की प्रति। विपक्षी सं. 12 ने जवाब के समर्थन में जमाबन्दी की प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रति, विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की।

पत्रावली में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि नारायण सिंह, महावीर सिंह, जेटुसिंह पिता हीरालाल जी पंवार निवासी



न्यायालय महायुक्त कलक्टर एवं
उपसुपुंड अधिवक्ता आमेट

आमेट ने आराजी नं. 3363 में से रकबा 0.0050 एयर व आराजी नं. 3364 में से रकबा 0.0080 एकयर कुल 130 एयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की एवं दिनांक 12.02.1996 को प्रार्थी को विक्रय की एवं भूमि का कब्जा प्रार्थी को सिपुर्द किया। इसी प्रकार नारायण सिंह, महावीर सिंह, जेतुसिंह पिता हीरालाल जी पंवार ने दिनांक 02.12.1998 को आराजी नं. 3363 में से रकबा 0.0247 एयर व आराजी नं. 3365 मीन क्षेत्रफल 0.0120 एयर कुल क्षेत्रफल 0.0367 वर्गमीटर प्रार्थी को और विक्रय की। प्रार्थी को विक्रेता ने जिस भूमि का कब्जा सिपुर्द किया, उस अनुरूप नक्शा ट्रेस में अंकन ही नहीं किया। जबकि यदि प्रार्थी के खरीदशुदा भूखण्ड को विपक्षी सं. 1 को नक्शा ट्रेस में अंकन करना था। पटवारी हल्का आमेट ने प्रार्थी का प्लॉट जो एक चक था, को बिना किसी आदेश के मनमकसुद तरीके नक्शा ट्रेस में बिना कब्जे की जांच किए अंकित कर दिया जो सर्वथा गलत है। विपक्षीगण प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकीयां दे रहे हैं एवं झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। जब तक नक्शा ट्रेस में सही तरमीम नहीं हो जाती तब तक उपरोक्त वर्णित भूमि सहित ग्राम आमेट के आराजी नं. 3363 रकबा 0.3103 हैक्टेयर एवं आराजी नं. 3365 मीन रकबा 0.0080 हैक्टेयर एवं आराजी नं. 3364 रकबा 0.0200 हैक्टेयर भूमि बाबत मौके और रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाई रखी जावे। विपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.12.1998 को कय की गई भूमि पर प्रार्थी काबिज है, किन्तु कोई भूमि वर्तमान में आराजी नं. 3363 में नहीं है। प्रार्थी राजनैतिक प्रभाव का धौंस बताकर आराजी सं. 3363 की भूमि पर पत्थर इत्यादि डालकर कब्जा करना चाहता है। अतः विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रतीप प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी भरत कुमार को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थी भरत कुमार दौराने वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

पत्रावली में हुई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :-

प्रथम दृष्टिया :- प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्राप्त की एवं प्रार्थी को विक्रेता ने जिस भूमि का कब्जा सिपुर्द किया, उस अनुरूप नक्शा ट्रेस में अंकन ही नहीं किया। प्रार्थी मौके पर काबिज होकर कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं जिससे प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

सुविधा का सन्तुलन :- विपक्षीगण जबरन प्रार्थी की भूमि में प्रवेश कर उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जबकि प्रार्थी अपने जमीन पर काबिज होकर उसका उपयोग-उपभोग कर रहे हैं जिससे सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थी पक्ष में साबित है।

अपूरणीय क्षति :- यदि विपक्षी प्रार्थी की पुरानी बाउण्ड्री को तोड़ फोड़ कर नाजायज कब्जा करते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अपूरणीय क्षति प्रार्थी

पक्ष में सिद्ध होती है।




/s/

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिवक्ता आमेट


:: आदेश ::

दोनो पक्षो के अधिवक्तागण की वहस सुनी गई एवं प्रार्थना-पत्र प्रथम दृष्टिया साबित पाए जाने से स्वीकार किया जाता है। ग्राम आमेट, तहसील आमेट में स्थिति भूमि आराजी नं. 5591/3365 रकबा 0.0120 हैक्टेयर, आराजी नं. 5675/3363 रकबा 0.0247 हैक्टेयर, आराजी नं. 5676/3363 रकबा 0.0050 हैक्टेयर, कुल किता 03 कुल रकबा 0.0417 हैक्टेयर एवं आराजी नं. 3363 रकबा 0.3103 हैक्टेयर एवं आराजी नं. 3365 मीन रकबा 0.0080 हैक्टेयर एवं आराजी नं. 3364 रकबा 0.0200 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षीगण उक्त वर्णित भूमि का मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फेसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।


न्यायालय (रक्षा-पक्षीक) लक्टर एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)



आज दिनांक 14.05.2024 को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।


न्यायालय (रक्षा-पक्षीक) लक्टर एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)